कार्यालय उन्नायक सेवा समिति

Plot No. - 960/22, Kelo Vihar Colony, Raigarh (C.G.)

Email – ussrgh@gmail.com

वार्षिक प्रतिवेदन 2021—22

04.04.2004 को स्थापित एवं 01.07.2005 को (छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1974 के अधीन पंजीकृत है, जिसका पंजीयन क्रमांक—3235) पंजीकृत हमारे उपरोक्तानुसार समिति वर्तमान में संचालनालय समाज कल्याण, संचालनालय महिला एवं बाल विभाग से मान्यता एवं अनुदान प्राप्त,षिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त है तथा नेषनल ट्रस्ट, नीति आयोग, 12A and 80G of IT Act, FCRA और किशोर न्याय अधिनियम से पंजीकृत है।

समिति द्वारा दिव्यांग, परित्यक्त, अभ्यर्पित तथा समस्त प्रकार के सुरक्षा एवं संरक्षण के जरूरतमंद बालकों के संस्थागत तथा गैर संस्थागत पुनर्वास हेतु विभिन्न योजनाओं के तहत् कार्य किए जाते है। उक्त कार्य हेतु समिति द्वारा 09 संस्थाओं का संचालन किया जा रहा है जिनका का विवरण निम्नानुसार है–

❖ **उम्मीद रायगढ़** :—समिति द्वारा उम्मीद रायगढ़ नाम से दिव्यांग (मंदबुध्दि, मुकबधिर, सीपी आदि) बालकों के पुनर्वास हेतु विषेष विद्यालय का संचालन किया जाता है। जिसमें 50 बालकों के लिए छात्रावासीय सुविधा उपलब्ध है। उक्त विद्यालय में बालकों को जरुरत अनुसार स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी, व्यवहारिक षिक्षा एवं दैनंदिनी षिक्षा के साथ छ.ग. बोर्ड के अनुरुप पाठ्यक्रम में शामिल किये जाते है। उक्त विद्यालय में विभिन्न जिलों के बालकों को यह सुविधाऐं नि:षुल्क प्राप्त हो रहा है। उक्त संस्था समाज कल्याण विभाग, संचालनालय छ.ग. से मान्यता एवं अनुदान प्राप्त एवं षिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त है। उक्त संस्था में वर्तमान 72 हितग्राही लाभान्वित हो रहें है।

❖ **नई उम्मीद** :– 15.06.2013 को नई उम्मीद नाम से कौहाकुण्डा रायगढ़ में प्रारंभ की गई यह बालगृह महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत समन्वित बाल संरक्षण योजना (आई. सी. पी.एस.) के प्रायोजकता से संचालित है, जो कि किषोर न्याय अधिनियम द्वारा पंजीकृत है। उक्त संस्था में संरक्षण एवं सुरक्षा के जरुरतमंद विषेष आवष्यकता वाले (मंदबुध्दि, मुकबधिर, सीपी आदि) बालकों को उनके पुनर्वास हेतु सुविधाऐं मुहैया कराया जाता है। बालकों को जरुरत अनुसार स्पीचथेरेपी, फिजियोथेरेपी, व्यवहारिक षिक्षा एवं दैनंदिनी षिक्षा के साथ छ.ग. बोर्ड के अनुरुप पाठ्यक्रम में शामिल किये जाते है। उक्त बालगृह में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के बालकों को यह सुविधाऐं प्राप्त हो रहा है। इस संस्था में अपने परिवार से बिछड़े हुए (जो अपना नाम व पता नही बता पाते है) बालकों को उनके परिवार में पुनर्वासित करने हेतु प्रयास किए जाते है। समस्त हितग्राहियों को स्वास्थ्य संबंधित उचित देखभाल, चिकित्सा, मनोरंजन, व्यवसायिक प्रषिक्षण आदि व्यवस्था उपलब्ध कराया जाता है। वर्तमान में संस्था में 54 बालक लाभान्वित हो रहे है। उक्त संस्था मे वर्तमान पर्यन्त कुल 141 दिव्यांग बच्चें विभिन्न प्रकार के पुनर्वासीय व्यवस्था के साथ लाभान्वित हुए है। **इनमे से इस वर्श 3 बालको जो की नशा शक्त थें उन्हैं नशा मुक्त कराया गया है।जो कि संस्था मे आने से पहले सॉल्युशनएवं तम्बाकुनशे के आदि थे।**

❖ **मातृनिलयम** :–01.07.2013 को **मातृनिलयम** नाम से स्टेट बैंक के बगल में लोचन नगर गली नं 01, रायगढ़ छ.ग. में संचालित किया जा रहा है। यह संस्था 0 से 6 वर्ष तक के (पालकविहिन, एकल पालक, परित्यक्त एवं अभ्यर्पित आदि) षिषुओं का **विशेष दत्तक ग्रहण एजेन्सी** एवं षिषुगृह है। यहां बाल कल्याण समिति द्वारा सौपें गये सुरक्षा एवं संरक्षण के जरुरतमंद उपरोक्तानुसार षिषुओं के लिए उचित संरक्षण एवं पुनर्वास (गैर संस्थागत) का व्यवस्था किया जाता है। यहां निवासरत षिषुओं को संस्था में नियमानुसार उचित संरक्षण एवं देखभाल करने के साथ–साथ उनको दत्तक ग्रहण प्रक्रिया के तहत परिवार मुहैया कराया जाता है। उक्त संस्था द्वारा दत्तक ग्रहण हेतु इच्छा प्रकट करने वाले पालकों को षिषु उपलब्ध कराया जाता है। इस संस्था में निवासरत षिषुओं को सुरक्षा, संरक्षण, चिकित्सा, षिक्षा, फिजियोथेरेपी आदि सेवा प्रदाय किया जाता ळें

उक्त संस्था द्वारा वर्तमान पर्यन्त कुल 89षिषुओं को देषीय एवं अंतर्देषीय दत्तक ग्रहण प्रक्रिया के तहत पालक देखरेख हेतु पालकों को सौपा गया है तथा 02 षिषुओं का अंतर्देषीय दत्तकग्रहण प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है। वर्तमान में संस्था में 14 षिषु निवासरत हैं तथा उक्त संस्था में वर्तमान पर्यन्त कुल 207 षिषुओं को विभिन्न प्रकार से लाभान्वित किया गया है।उक्त संस्था निम्न भवन के निचला तल में संचालित है।

❖ **आशियाना** :– 14.09.2013 को **आशियाना** नाम से **खुला आश्रयगृह** स्टेट बैंक के बगल में लोचन नगर गली नं 01, रायगढ़ छ.ग. में संचालित किया जा रहा है। उक्त संस्था किशोर न्याय अधिनियम के तहत पंजीकृत एवं आई. सी. पी. एस. के प्रायोजकता से सुरक्षा एवं संरक्षण के जरुरतमंद घुमन्तु, नषाषक्त, बालश्रमिक, मानव तस्करी से पीड़ित, गुमषुदा, आपदा पीड़ित, भागे हुए एवं किसी भी प्रकार के शोषण के षिकार आदि 06 वर्ष से 18 वर्ष तक के बालकों को अल्प समयावधि के लिए आश्रय उपलब्ध कराने के साथ उनका उचित देखभाल, संरक्षण एवं चिकित्सा आदि सुविधा मुहैया करवाया जाता है। वर्तमान संस्था में कुल 06 बच्चे निवासरत है। यह संस्था निम्न भवन के प्रथम तल पर संचालित है। उक्त संस्था में वर्तमान पर्यन्त कुल 661 बालकों को विभिन्न प्रकार से लाभान्वित किया गया है। **जिनमें से इस वर्ष दाखिला प्राप्त27 बालको में से 8 बालको को नशा मुक्त कराया गया है। जो कि संस्था मे आने से पहले सॅल्युशन,गांजा,तम्बाकु एवं मद्यपान आदि नशा करते थे। इन बालकों को इस संस्था मे नशा मुक्त कराया जा कर इनमें से जो बिना पालक वाले बच्चें एवं एकल पालक वाले बालक थे इन्हें हमारे संस्था द्वारा संचालित बालगृह में स्थानांतरण कर उनका सम्पुर्ण विकास हेतु उन्हें स्कुल मे दाखिला कराया गया है, एवं कुछ बालको को व्यावसायीक प्रशिक्षण दिया जा रहा है।**

❖ **निलाचलः**—01.09.2015 को निलाचल नाम से पहाड़ मंदिर के पीछे, लोइंग रोड़, उरांव पारा, पंडरीपानी, रायगढ़ में 50 बालकों का बालगृह प्रारंभ किया गया है, उक्त संस्था किशोर न्याय अधिनियम के तहत पंजीकृत एवं आई. सी. पी. एस. के प्रायोजकता से सुरक्षा एवं संरक्षण के जरुरतमंद बालकों निवासरत है। उक्त संस्था के सभी बालक अपनी उम्र अनुरुप षिक्षा ग्रहण करने हेतु स्कूल जा रहें है। संस्था में निवासरत बालको को विभिन्न प्रकार के लाभ मुहैया कराया जा रहा है। वर्तमान संस्था में 56 बालक निवासरत है। उक्त संस्था किषोर न्याय अधिनियम के तहत पंजीकृत है। उक्त संस्था में वर्तमान पर्यन्त कुल 207 बालकों को विभिन्न प्रकार से लाभान्वित किया गया है।

❖ **श्री चक्रधर बालिका गृहः**— 03.10.2018 को श्री चक्रधर बालिका गृह नाम से हण्डी चौक दुर्गा मंदिर, रायगढ़ में 75 बालिकाओं का बालगृह प्रारंभ किया गया है, उक्त संस्था किशोर न्याय अधिनियम के तहत पंजीकृत एवं आई. सी. पी. एस. के प्रायोजकता से सुरक्षा एवं संरक्षण के जरुरतमंद बालिकायें निवासरत है। उक्त संस्था के सभी बालिका अपनी उम्र अनुरुप षिक्षा ग्रहण करने हेतु स्कूल जा रहें है। संस्था में निवासरत बालिकाओं को विभिन्न प्रकार के लाभ मुहैया कराया जा रहा है। वर्तमान संस्था में 81 बालिका निवासरत है। उक्त संस्था किषोर न्याय अधिनियम के तहत पंजीकृत है।उक्त संस्था में वर्तमान पर्यन्त कुल 725 बालिकायों को विभिन्न प्रकार के पुनर्वासीय सुविधा के द्वारा लाभान्वित किया गया है।

❖**एडल्ट्स उम्मीद (घरौन्दा)**:– हमारी समिति द्वारा डी 28 एवं डी 29, सूर्या विहार कॉलोनी, रायगढ़ छ.ग. में वयस्क दिव्यांगजनों के लिए समाज कल्याण विभाग के अधीन घरौन्दा (वयस्कों के लिए सामूहिक गृह) योजना का संचालन किया जा रहा है। निवासरत हितग्राहियों को आजीवन निवास हेतु व्यवस्था के साथ उन्हें फिजियोथेरपी, योगा, विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय देखभाल के साथ साथ व्यवसायिक प्रषिक्षण दिया जा रहा है। उक्त केन्द्र में कुल 25 हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं।

समर्थ कम घरौंदा :– हमारी समिति द्वारा डी 27, सूर्या विहार कॉलोनी, रायगढ़ (छ.ग.) में बौद्धिक एवं विकासात्मक दिव्यांगों के लिए नेषनल ट्रस्ट नई दिल्ली के प्रयोजन से समर्थ कम घरौंदा कार्यक्रम, **उम्मीद की किरण** नाम से संचालन किया जा रहा है। उक्त संस्था में अनाथ, परित्यक्त, अभ्यर्पित एवं गरीब तथा आश्रय विहिन परिवार के 6 वर्ष से अधिक उम्र के हितग्राहियों को आजीवन निवास के साथ आवष्यक देखभाल, विषेष षिक्षा तथा व्यवसायिक प्रषिक्षण दिया जा रहा है। उक्त केन्द्र में वर्तमान कुल 30 हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं।

❖ **उम्मीद बरमकेला** :—समिति द्वारा उम्मीद बरमकेला नाम से माझापारा, जगन्नाथ मंदिर के पास बरमकेला, जिला रायगढ़ छ.ग. में दिव्यांग (मंदबुध्दि, मुकबधिर, सीपी आदि) बालकों के पुनर्वास हेतु विषेष विद्यालय का संचालन किया जाता है। जिसमें 35 बालकों के लिए छात्रावासीय सुविधा उपलब्ध है। उक्त विद्यालय में बालकों को जरुरत अनुसार फिजियोथेरेपी, व्यवहारिक षिक्षा एवं दैनंदिनी षिक्षा प्रदाय किया जाता है। उक्त विद्यालय में विभिन्न जिलों के बालकों को यह सुविधाऐं निःषुल्क प्राप्त हो रहा है। उक्त संस्था समाज कल्याण विभाग, संचालनालय छ.ग. से मान्यता एवं अनुदान प्राप्त है। उक्त संस्था में वर्तमान 35 हितग्राही लाभान्वित हो रहें है।

❖ **श्री बालाजी विशेष विद्यालय नगरी धमतरी** :—समिति द्वारा श्री बालाजी विषेष विद्यालय के नाम से नगरी धमतरी, जिला धमतरी छ.ग. में दिव्यांग (मंदबुध्दि, मुकबधिर, सीपी आदि) बालकों के पुनर्वास हेतु विषेष विद्यालय का संचालन किया जाता है। जिसमें 35 बालकों के लिए छात्रावासीय सुविधा उपलब्ध है। उक्त विद्यालय में बालकों को जरुरत अनुसार फिजियोथेरेपी, व्यवहारिक षिक्षा एवं दैनंदिनी षिक्षा प्रदाय किया जाता है। उक्त विद्यालय में विभिन्न जिलों के बालकों को यह सुविधाऐं निःषुल्क प्राप्त हो रहा है। उक्त संस्था समाज कल्याण विभाग, संचालनालय छ.ग. से मान्यता एवं अनुदान प्राप्त है। उक्त संस्था में वर्तमान 30 हितग्राही लाभान्वित हो रहें है।

- **नशा मुक्ति कार्यक्रमः**—पूर्व वर्षो की तरह इस वर्ष (2021—22) में भी नषा मुक्ति हेतु कार्यक्रमों का आयोजन किया गया ,जिसमें 26 जून 2021 को नषामुक्ति दिवस के उपलक्ष में रैली का आयोजन किया गया था जिसमें लागो को नषा के दुष्प्रभाव के बारे मे जागृत किया गया था।

  2 अक्टुबर 2021 को मद्य निषेद दिवस का आयोजन किया गया था,जिसमे समिति द्वारा समाज के लोगो के द्वारा विभिन्न प्रकार के स्लोगन के द्वारा लोगो को सच्चेत कराने का प्रयास किया गया। ताकि वे नषा से दुर रहें तथा अपने परिवार के साथ सुखद जीवन व्यतित कर सके।उक्त रैली में करीब 150 लोग भाग लिये थे।

- **मद्य निषेध सप्ताह(2—8 अक्टुबर)** के उपलक्ष मे रायगढ़ के स्लम इलाको में रैली का आयोजन किया गया था। जिसका मुख्य उद्देष्य लोगो को मद्यपान से दुर रहने हेतु प्रयास करना।

समिति द्वारा सुर्या विहार कॉलोनी रायगढ़ मे **नव जीवननाम से व्यसन मुक्ति एवं पुनर्वास केन्द्र** संचालित किया जा रहा है जिसमें वर्तमान 07 हितग्राहीयों को चिकित्सा, योगा, दैनिक परामर्ष, मनोरंजन एवं व्यवसायीक कार्यो में सहभागीता दिलाया जाकर व्यसन मुक्ति हेतु प्रयास किया जा रहा है।

❖ **घरौंदा(महिला)**:—हमारी समिति द्वारा प्राची विहार कॉलोनी, रायगढ़ छ.ग. में वयस्क दिव्यांगजन महिलाओं के लिए समाज कल्याण विभाग के अधीन घरौन्दा (वयस्क महिलाओं के लिए सामूहिक गृह) योजना का संचालन किया जा रहा है। निवासरत हितग्राहियों को आजीवन निवास हेतु व्यवस्था के साथ उन्हें फिजियोथेरपी, योगा, विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय देखभाल के साथ साथ व्यवसायिक प्रषिक्षण दिया जा रहा है।

हमारे समिति द्वारा संचालित खुला आश्रय गृह एवं नई उम्मीद संस्था के द्वारा 113 बालकों को वर्ष 2013 से लेकर आज पर्यन्त नशा मुक्त कराया गया है। जिनमें से पालक विहिन एवं एकल पालक वाले बालकों को हमारे समिति द्वारा संचालित विभिन्न संस्थाओं में दाखिला दिया जा कर आवासीय सुविधा के साथ विद्यालयीन शिक्षा, व्यावसायीक प्रशिक्षण तथा कुछ बालको को रोजगार प्रदाय किया गया है।

सचिव
उन्नायक सेवा समिति
रायगढ़ (छ.ग.)